अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 894(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित है ।

3. **विवरणी का प्रस्तुत किया जाना**-(1) प्राधिकरण,उन मामलों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय किए जाए, उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट मामलों पर तिमाही विवरणी और कथन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्राधिकरण, भांडागारण उद्योग के संप्रवर्तन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां, कथन या विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

4. **वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुत किया जाना**-(1) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशीघ्र उपाबंध-2 में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियाकलापों का एक लेखा अंतर्विष्ट होगा,--

(क) कारपोरेट और प्रचालन ध्येय तथा प्राधिकरण के उद्देश्यों का विवरण ;
(ख) खंड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिए गए वास्तविक और वित्तीय शर्तों में वार्षिक लक्ष्य जिनमें उन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन का संक्षिप्त पुनर्विलोकन हो ;
(ग) पूर्व वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और क्रियाकलापों का एक लेखा जिन्हे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने की संभावना है ;
(घ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;
(ङ) नियोजक-कर्मचारियों के संबंधों पर रिपोर्ट और प्राधिकरण के कल्याणकारी क्रियाकलाप; और
(च) ऐसे अन्य प्रकीर्ण मामलों पर रिपोर्ट जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करने के लिए प्राधिकरण द्वारा ठीक समझे जाएं ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की बैठक में अंगीकार करने के पश्चात् अध्ययक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और प्राधिकरण की अनुप्रमाणित सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित की जाएगी तथा प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 30 सितंबर तक प्रतियों की अपेक्षित संख्या सहित केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध-1

भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण द्वारा तिमाही में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियां और कथन तथा अन्य विशिष्टियां

(नियम 3 देखिए)

I. प्राधिकरण द्वारा भांडागारण के रजिस्ट्रीकरण का कथन ।

क्रम सं0	रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की ब्यौरे सहित संख्या	रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित भांडागारों की संख्या

II. भांडागारों द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी को मानीटर करने के लिए प्राधिकरण/या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संचालित भांडागारों के कालिक निरीक्षण का विवरण ।

क्रम सं0	तिमाही के दौरान संचालित भांडागार ब्यौरे सहित का निरीक्षण	प्राधिकरण का संप्रेक्षण	किए गए उपचारात्मक उपाय

III. प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण का विवरण ।

क्रम सं0	प्रत्यायन अभिकरणों से प्राप्त आवेदन की संख्या	तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकरण भांडागारों की ब्यौरे सहित संख्या	रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित प्रत्यायन अभिकरणों की आवेदन संख्या

IV. प्राधिकरण/या प्राधिकृत रूप में संचालित प्रत्यायन अभिकरणों के कालिक निरीक्षण का विवरण ।

क्रम सं0	तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की ब्यौरे सहित संख्या	प्राधिकरण का संप्रेक्षण	किए गए उपचारात्मक उपाय

V. विवाद के निपटारे और उसके न्यायनिर्णयन के लिए प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए मामलों की संख्या का विवरण ।

क्रम सं0	पिछली तिमाही में लंबित मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या

VI. प्राधिकरण के निदेशों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा भांडागारों पर अधिरोपित शास्ति का विवरण ।

क्रम सं0	भांडागारों का नाम	जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा	अधिरोपित शास्ति

VII. प्राधिकरण के निर्देशों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन अभिकरणों पर अधिरोपित शास्ति का विवरण ।

क्रम सं0	प्रत्यायित अभिकरणों का नाम	जारी किए गए निदेशों के ब्यौरे	अधिरोपित शास्ति

उपाबंध-2

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

भाग-1

नीतियां और कार्यक्रम :

(1) भांडागारण सेक्टर के साधारण आर्थिक पर्यावरण का पुनर्विलोकन ।

(2) निम्नलिखित की बाबत नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन :--

(क) ग्रामीण/शहरी भांडागारण क्रियाकलाप ;

(ख) भांडागारण क्रियाकलापों का विस्तार ;

(ग) आधारिक और मूल्य वर्धित सेवा में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश ;

(घ) भांडागारों के मध्य तकनीकी संगति और प्रभावी अंतःसंबंध ;

(ङ) वैज्ञानिक भांडागारण प्रोद्योगिकी ; और

(च) भांडागारण सेवा की क्वालिटी.।

भाग-2

भांडागारण सेक्टर के संबंध में भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रचालन का पुनर्विलोकन--

(क) ग्रामीण/शहरी भांडागारण क्रियाकलाप ;

(ख) भांडागारण सेक्टर का विस्तार ;

(ग) भांडागारों द्वारा प्रौद्योगिकी संगति और प्रभावी भांडागारण ; और

(घ) सेवा की क्वालिटी ।

भाग-3

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण आदि के आंकड़े

(क) रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की संख्या ;

(ख) भांडागारों के नवीकृत रजिस्ट्रीकरण की संख्या ;

(ग) रद्द किए गए आवेदनों की संख्या ;

(घ) निलंबित या रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरणों की संख्या ;

(ङ) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(च) माल के निक्षेपकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम ; (न्यायनिर्णीत मामलों के ब्यौरे सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें) ।

(छ) भांडागारण सेवाओं के प्रचालन में समापन सुकर करने और निपुणता को सुकर बनाने के लिए कदम उठाना ताकि ऐसी सेवाओं के विकास को सुकर बनाया जा सके ; (उठाए गए कदमों और उन के परिणामों का ब्यौरा दें)

(ज) भांडागारण सेवा प्रदाताओं और परक्राम्य भांडागार रसीद धारकों के बीच विवादों का निपटारा (न्यायनिर्णीत विवादों का ब्यौरा दें)

(झ) भांडागारण सेक्टर के विकास से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को दी गई सलाह का ब्यौरा और इस विषय से संबंधित कोई अन्य मामला ; (दी गई सलाह और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा दें)

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को सौंपे गए प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य ; (प्रत्यायोजित कृत्यों के निष्पादन के संबंध में ब्यौरा दें)

(ट) सेवा की क्वालिटी की मानीटरी और भांडागारों द्वारा ऐसी सेवा संवर्धक सर्वेक्षण का ब्यौरा (उठाए गए कदमों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा दें)

(ठ) भांडागार सेक्टर में प्रयुक्त उपस्करों और पेस्ट नियंत्रण सेवाओं का श्रेणीकरण और का निरीक्षण तथा भांडागार द्वारा उपस्कर के प्रकार पर की गई सिफारिशें ;

(किए गए निरीक्षण और की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा दें)

भाग-4

वित्तीय निष्पादन सहित भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले (ब्यौरे)..........................

[फा. सं. टीएफसी/18/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2010

G.S.R. 894(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 39 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Report and Returns Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** –(1)In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007; and

(b) "Annexure" means an Annexure appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Furnishing of returns.**– (1) The Authority shall furnish to the Central Government quarterly returns and statements on the matters specified in Annexure -I, including matters as may be specified by the Central Government from time to time.

(2) The Authority shall also furnish such returns, statements or particulars in regard to any proposed or existing programme for the promotion and development of the warehousing industry, as the Central Government may direct from time to time.

4. **Preparation and submission of Annual Report.** – (1) The Authority shall prepare, as soon as may be, after the commencement of each financial year the annual report referred to in sub-section (2) of section 39 of the Act as specified in Annexure- II.

(2) The annual report shall contain an account of the activities during the previous financial year, containing, interalia, –

(a) a statement of corporate and operational goals and objectives of the Authority;

(b) annual targets in physical and financial terms set for various activities in the background of clause (a) together with a brief review of actual performance with reference to those targets;

(c) an administrative report on the activities of the Authority during the previous year and the current year and an account of the activities which are likely to be taken up during the next financial year;

(d) important changes in the organizational set up of the Authority;

(e) report on employer-employees relations and welfare activities of the Authority; and

(f) report on such other miscellaneous matters as deemed fit by the Authority for reporting to the Central Government.

(3) The annual report shall, after adoption at a meeting of the Authority, be signed by the Chairperson and authenticated by affixing the common seal of the Authority and the requisite number of copies thereof shall be submitted to the Central Government by the 30th day of September in each calendar year.

ANNEXURE-I

RETURNS AND STATEMENTS AND OTHER PARTICULARS REQUIRED TO BE FURNISHED QUARTERLY BY WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

(See rule 3)

I. Statement of registration of warehouses by Authority.

Sl. No.	Number of applications received for registration	Number of warehouses registered during the quarter with details	Number of warehouses pending for registration

II. Statement of the periodical inspection of warehouses conducted by the Authority/or its authorized representative to monitor the quality of service provided by the warehouses.

Sl. No.	Warehouse Inspection conducted during the quarter with details	Observation of Authority	Remedial steps taken

III. Statement of registration of accreditation agencies by Authority.

Sl. No.	Number of application received from accreditation agencies.	No. of accreditation agencies registered during the quarter with details.	Number of applications of accreditation agencies pending for registration

IV. Statement on the periodical inspection of accreditation agencies conducted by the Authority/or its authorized ag

Sl. No.	Inspection of Accreditation agencies conducted during the quarter with details	Observation of Authority	Remedial steps taken

V. Return on number of cases filed before the Authority for settlement of disputes and adjudicated upon.

Sl. No.	Number of cases pending in the last quarter	Number of cases received during the quarter	Number of cases disposed off during the quarter	No. of cases pending at the end of the quarter

VI. Statements on penalty imposed on warehouses by the Authority for contraventions of the directions of the Authority.

Sl. No.	Name of the warehouses	Details of the directions issued	Penalty imposed

VII. Statements of penalty imposed on accreditation agencies by the Authority for contraventions of the directions of the Authority.

Sl. No.	Name of the accreditation agencies	Details of the directions issued	Penalty imposed

ANNEXURE-II

Form of Annual Report of the Warehousing Development and Regulatory Authority

Part-I

Policies and programmes:

(1) Review of General Economic Environment of the warehousing sector.
(2) Review of policies and programmes in respect of: -
 (a) Rural /Urban warehousing activities;
 (b) Expansion of warehousing activities;
 (c) Entry of private sector in both basic and value added service;
 (d) Technical compatibility and effective interconnection between warehouses;
 (e) Scientific warehousing technology; and
 (f) Quality of warehousing service.

Part-II

Review of working and operation of the Warehousing Development and Regulatory Authority in warehousing sector in respect of-

(a) Rural/Urban warehousing activities;
(b) Expansion of warehousing sector;
(c) Technical compatibility and effective warehousing services by the warehouses; and
(d) Quality of service;

Part-III

Data of registrations/renewals etc. of Warehousing Development and Regulatory Authority

(a) Number of warehouses registered;
(b) Number of warehouses registrations renewed;
(c) Number of applications rejected;

(d) Number of registrations suspended or cancelled;

(e) Ensuring compliance of terms and conditions of registration of warehouses;

(f) Steps taken to protect the interest of depositors of goods;

(Give details of steps taken including the details of cases adjudicated upon)

(g) Steps taken to facilitate completion and promote efficiency in the operation of warehousing services so as to facilitate growth in such services;

(Give details of steps taken and the results thereof)

(h) Settlement of disputes between warehousing service providers and negotiable warehouse receipt holders;

(Give details of disputes adjudicated upon)

(i) Details of advice rendered to the Central Government in the matter relating to development of warehousing sector and any other matter related to the subject;

(Give details of advice rendered and the reaction of the Government thereto)

(j) Administrative and financial functions entrusted to the Authority by the Central Government;

(Give details regarding performance of delegated functions)

(k) Monitoring of the quality of services and details of promotional survey of such services by the warehouses.

(Give details of steps taken and the results achieved)

(l) Inspection of equipment used in the warehousing sector including grading and pest control services and recommendation made on the type of equipment to be used by the warehouses.

(Give details of the inspection made and remedial action taken)

Part –IV

Organisational matters of the Warehousing and Development and Regulatory Authority including financial performance. (details) ....

......

[F. No. TFC/18/2008]

NAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.